बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण।
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

सभी 27 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में Water Purefire (50 लिटर का टंकी सहित) जो प्रति घंटा 50 लीटर Water Purefire करता हों साथ ही दो नल अलग टेप फिटिंग सहित लगाना है। जिससे बच्चियों को स्वच्छ पानी लेने में सुविधा हो। Water Purefire ISI मार्का का होना चाहिए।

अतएव, Water Purefire का निविदा विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों तक की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में सभी वाछित प्रमाण–पत्रों अथवा अभिलेखों के साथ तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में मात्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा की सामान्य शर्त्तः–

1. निविदादाता को दो अलग–अलग लिफाफे में कमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा समर्पित करना होगां। तकनीकी निविदा सही पाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा एक ही लिफाफे में पाये जाने पर उसपर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र एवं वर्तमान में समर्पित टैक्स कटौती की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को विगत तीन वर्ष यथा 2014–15 से 2016–17 तक के आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को सामग्रियों के कम्पनी/मार्का भी अंकित करना होगा।
5. निविदादाता द्वारा किसी भी एक शर्त्त का पालन नहीं करने, एवं आवश्यक कागजात निविदा के साथ संलग्न नहीं करने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रत्यके के0जी0बी0भी0 के लिए अलग–अलग निविदा डालना होगा।
7. निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में Water Purefire हेतु 3000/–(तीन हजार) डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता एक से अधिक के0जी0बी0भी0 में अपना निविदा दे सकते हैं बशत्ते प्रत्येक के0जी0बी0भी0 के लिये अग्रधन की राशि अलग–अलग संलग्न करना होगा।
9. अग्रधन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय के नाम से देय होगा।
10. निविदादाता का फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो एवं किसी भी तरह का केस–मुकदमा में लिप्त/लंबित न होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
11. प्रथम विज्ञापन प्रकाशन के 15वे दिन तक बिहार शिक्षा परियोजना, अम्बेदकर भवन, कचहरी चौक, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, पिन–(845401) के कार्यालय में मुहरबंद निविदा रजिस्ट्रड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त की जायेगी।

28/7/16

12. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता अथवा उनके किसी अधिकृत प्रतिनिधि को समाग्रियों के नमूना के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
13. अधिकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश के साथ किसी भी प्रकार की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान नहीं होगा। सामग्री की गुणवता, विशिष्टता के साथ न्युनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही आपूर्ति कर्त्ता को किसी प्रकार का फिटिंग एवं परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
14. भुगतान की कार्रवाई सामग्री के रूप में आपूर्ति की गयी सामग्री के नमूना से मिलान के पश्चात् फिटिंग के बाद के0जी0बी0भी0 के द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में राज्य कार्यालय के पत्रांक–476 दिनांक–17.01.14 का पालन किया जायगा।
15. निर्धारित नमूने के अनुसार सामग्री नहीं होना आपूर्ति ससमय नहीं होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधन करने निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. निविदा खोलने की तिथि बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण की वेबसाइट पर दी जायगी।
18. चयनित आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति के पूर्व सेल्स टैक्स क्लीयरेंस का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
19. सभी तरह के प्रमाण पत्र/निबंधन प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का अमान्य माना जायगा।

20. <u>वित्तिय निविदा की शर्त्तः–</u>
    1. आइटमवार एवं क्रमवार (जो निविदा प्रपत्र में क्रम अंकित हैं) सामग्रियों का दर, ब्रण्ड, मार्का का नाम (स्पष्ट रूप से) अंकित करना होगा, जिसमें सभी मान्यकर सन्निहित हो।
    2. किसी भी हालत में सामग्रियों का दर प्रिंट/बाजार दर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

विश्वासभाजन

28/9/2016

28/9/16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण।